भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1917
दिनांक 30 जुलाई, 2026

ईंधन की बढ़ती कीमतों का प्रभाव

†1917. **श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के मूल्यों में हाल ही में वृद्धि की गई है और यदि हाँ, तो उत्पाद-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने परिवहन, विनिर्माण, कृषि और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की लागत पर पेट्रोलियम और गैस के मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खुदरा मुद्रास्फीति और आम लोगों के जीवनयापन की लागत पर बढ़ते पेट्रोलियम और गैस के मूल्यों के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को ईंधन और गैस के बढ़ते मूल्यों के प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में उद्योग निकायों, परिवहन चालकों, किसान संगठनों और उपभोक्ताओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का करों और शुल्कों में कमी, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण सहित पेट्रोलियम और गैस के बढ़ते मूल्यों के प्रभाव को कम करने के लिए कोई उपाय करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ङ): देश में पेट्रोल और डीजल के मूल्य बाजार-निर्धारित हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पेट्रोल और डीजल के मूल्य पर उचित निर्णय लेती हैं।

पश्चिम एशिया संकट से पहले, कच्चे तेल का मूल्य (भारतीय बास्केट) 69अमेरिकी डॉलर/बैरल (फरवरी 2026) था और मार्च 2026 के दौरान 136.68 अमेरिकी डॉलर/बैरल तक बढ़ गया और विभिन्न भू-राजनीतिक और बाजार कारकों के कारण निरंतर उतार-चढ़ाव जारी है। 23 जुलाई 2026 तक भी कच्चे तेल का मूल्य 103.33अमेरिकी डॉलर/बैरल था। पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर भारी अल्प वसूली के बावजूद, पीएसयू ओएमसीज़ द्वारा उनके मूल्यों में मामूली वृद्धि की गई। पेट्रोल और डीजल का वर्तमान आरएसपी क्रमशः 102.12 रुपये और 95.20 रुपये प्रति लीटर (दिल्ली मूल्य) है।

सरकार को उद्योग निकायों, परिवहन प्रचालकों, किसान संगठनों और उपभोक्ताओं जैसे विभिन्न स्टेकहोल्डरों से नियमित रूप से अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं और समय-समय पर उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

उपभोक्ताओं को इसके प्रभाव से बचाने के लिए, मार्च 2026 में, सरकार ने पेट्रोल और डीजल प्रत्येक पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की, लेकिन इसके साथ ही इसके कर राजस्व में भारी कमी आई।

दिनांक 01.04.2026 से दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री मूल्यों (आरएसपी) में वृद्धि/कमी का विवरण नीचे दिया गया है:

(रुपए/लीटर)

प्रभावी मूल्य	पेट्रोल	डीजल
01.04.2026 तक	94.77	87.67
15.05.2026	97.77	90.67
19.05.2026	98.64	91.58
23.05.2026	99.51	92.49
25.05.2026	102.12	95.20

स्रोत – पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

अप्रैल 2026 से कच्चे तेल के भारतीय बास्केट का औसत मासिक मूल्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

(यूएसडी/बैरल)

महीना	कच्चे तेल का औसत मूल्य (भारतीय बास्केट)
अप्रैल-26	114.48
मई-26	106.23
जून-26	83.22

स्रोत – पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

देश में एलपीजी के मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्यों से जुड़े हुए हैं। सरकार घरेलू एलपीजी के लिए उपभोक्ता के लिए प्रभावी मूल्य को घटाती बढ़ाती रहती है।

पश्चिम एशिया संकट के शुरू होने के साथ ही, अप्रैल और मई 2026 में औसत सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण का अंतरराष्ट्रीय मानक) बढ़कर 780 अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन तक पहुंच गया। जून 2026 में, सऊदी सीपी में और वृद्धि होकर 796 अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन (प्रीमियम को छोड़कर) हो जाने के कारण, 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर का बाजार निर्धारित मूल्य (एमडीपी) बढ़कर 1,695 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया।

जून 2026 में घरेलू एलपीजी का खुदरा विक्रय मूल्य 942 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर स्थिर रहा, जिस पर 700 रुपए से अधिक की निहित राजसहायता (अल्प वसूली) लागू है। जुलाई 2026 में भी, प्रत्येक 14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर निहित राजसहायता 500 रुपए से अधिक है। 10.5 करोड़ से अधिक पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए, 500 रुपए से अधिक की निहित राजसहायता के अतिरिक्त, 300 रुपए की लक्षित राजसहायता के बाद प्रभावी मूल्य केवल 642 रुपए प्रति सिलेंडर (दिल्ली) है।

सरकार देश में परिवारों को किफायती दरों पर घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है, जिसके लिए सरकार ने ओएमसीज़ को वित्त वर्ष 2022-23 में 22,000 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2025-26 और वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान 30,000 करोड़ रुपये का मुआवजा दे रही है। इस मुआवजे के भुगतान के बाद भी, घरेलू एलपीजी पर पीएसयू ओएमसीज़ की संचित अल्प वसूली 30 जून 2026 तक ही 51000 करोड़ रुपये से अधिक थी।

अप्रैल 2026 से दिल्ली में घरेलू एलपीजी की खुदरा बिक्री मूल्यों (आरएसपी) में वृद्धि/कमी का विवरण नीचे दिया गया है:

प्रभावी मूल्य	घरेलू एलपीजी (रुपए/14.2 किलोग्राम सिलेंडर)
01.04.2026 तक	913.00
07.06.2026	942.00

स्रोत – पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

नोट: पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 300 रुपये प्रति सिलेंडर की लक्षित राजसहायता के बाद, भारत सरकार सभी पात्र प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) लाभार्थियों को 642 रुपये प्रति सिलेंडर (दिल्ली में) के प्रभावी मूल्य पर 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर प्रदान कर रही है।

पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में वृद्धि/कमी का घरेलू मुद्रास्फीति पर प्रभाव थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में उनके भारांक के माध्यम से आंका जा सकता है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का डब्ल्यूपीआई सूचकांक भारांक क्रमशः 1.73%, 4.03% और 0.44% है।

दिनांक 01.04.2026 से दिल्ली में सीएनजी और पीएनजी के खुदरा बिक्री मूल्यों (आरएसपी) के विवरण नीचे दिए गए हैं:

प्रभावी तारीख	**सीएनजी (रुपए/किग्रा)**	**पीएनजी के मूल्य (रुपए/एससीएम)**
1 अप्रैल 2026 तक	77.09	49.59
15-मई-26	79.09	
17- मई -26	80.09	
23- मई -26	81.09	
26- मई -26	83.09	

स्रोत – पीपीएसी और आईजीएल

सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने और विदेशी मुद्रा व्यय को कम करने के उद्देश्य से, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की कंपनियों की प्रतिभागिता के साथ, घरेलू कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा आयात पर निर्भरता घटाने हेतु व्यापक नीतियों, विनियमन तथा राजकोष संबंधी निम्नलिखित उपाय किए है-

i. हाइड्रोकार्बन खोजों के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए उत्पादन-साझाकरण संविदा (पीएससी) व्यवस्था, 2014 के तहत छूट, विस्तार और स्पष्टीकरण संबंधी नीति।

ii. खोजे गए लघु क्षेत्र (डीएसएफ) नीति, 2015, जो उत्पादन में तेजी लाने के लिए खोजे गए लेकिन अविकसित क्षेत्रों को आवंटित करने हेतु एक पारदर्शी तंत्र प्रदान करती है।

iii. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और अनुज्ञप्ति नीति (एचईएलपी), 2016, जो हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और उत्पादन के लिए एक समान अनुज्ञप्ति ढांचा और राजस्व-साझाकरण व्यवस्था प्रदान करती है।

iv. पीएससी के विस्तार संबंधी नीति (2016 और 2017), जो उत्पादन करने वाले ब्लॉकों से निरंतर उत्पादन को सुगम बनाने के लिए है।

v. सीबीएम ब्लॉकों के शीघ्र मुद्रीकरण संबंधी नीति, 2017, जो विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता प्रदान करती है तथा सीबीएम ब्लॉकों में प्रचालन संबंधी मुद्दों का समाधान करती है।

vi. विवादों के निपटारे हेतु, दिनांक 28.02.2019 एवं 16.12.2019 की अधिसूचनाओं के माध्यम से "प्रतिष्ठित विदेशी विशेषज्ञों की समिति" (सीईईई) का गठन किया गया। अब तक इस व्यवस्था के

कारण उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हुए हैं; 31 मामलों में सीईईई द्वारा दी गई सिफारिशों को स्वीकार करके उन्हें लागू किया गया।

vii. उन्नत अन्वेषण, वेधन और रिजर्वायर प्रबंधन प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रोद्यौगिकी पार्टनर और वैश्विक तेल कंपनियों के साथ तकनिकी सेवा प्रदाता के तौर पर सहयोग किया जा रहा है। मौजूदा क्षेत्र से घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय तेल कंपनियों ने कार्यनीतिक अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग भी किए हैं। आएनजीसी ने फ़रवरी 2025 में, मुंबई हाई के लिए बीपी एक्सप्लोरेशन (अल्फा) लिमिटेड को तकनीकी सेवा प्रदाता नियुक्त किया और मई 2026 में इस सहयोग को शेष बचे हुए पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र तक बढ़ा दिया, ताकि उत्पादन में गिरावट को रोकने और पुनर्प्राप्ति को बढ़ाने के मकसद से उन्नत उपायों को लागू करने में मदद मिल सके।

आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय व्यवधानों या भू-राजनीतिक घटनाओं से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए एलपीजी आयात का विविधीकरण किया जा रहा है। एलपीजी सोर्सिंग देशों की संख्या 10 से 15 देशों तक बढ़ गई है और एलपीजी अब दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के देशों में आपूर्तिकर्ताओं के विविध पूल से प्राप्त की जाती है। इस रणनीति के हिस्से के रूप में, पीएसयू ओएमसी ने यूएस-मूल एलपीजी के ~2.2 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) के आयात के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जो देश की कुल एलपीजी आयात आवश्यकता का लगभग 10% कवर करता है। यह पारंपरिक खाड़ी क्षेत्र के बाहर एक विश्वसनीय वैकल्पिक एलपीजी आपूर्ति स्रोत स्थापित करके भारत के ऊर्जा लचीलापन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और आपूर्ति जोखिमों को कम करने के लिए, सरकार उन खतरों की लगातार निगरानी और आकलन करती है, जिससे एलपीजी की आपूर्ति में संभावित व्यवधान हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज़) भी लगातार अंतरराष्ट्रीय शिपिंग, माल ढुलाई, आपूर्ति की स्थिति की निगरानी करती हैं और देश भर में निर्बाध एलपीजी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उचित खरीद और रसद प्रबंधन उपाय करती हैं।
